

# मुकदमा इब्दाई

(ओ.20 रूल 6-7 जाब्दा दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला- केकडी (राज.) मुकाम - टोडारायसिंह बड़जलाश श्री शिवराज मीणा, आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह जिला-केकडी (राज.)

## उनवान

1. कमलेश कुमार पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
2. कृष्ण प्रताप पुत्र कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
3. इन्द्रा पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
4. सुशीला पुत्री कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
5. मेवा देवी पत्नी स्व0 कन्हैयालाल जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।

## बनाम

1. अजौध्या देवी पत्नी स्व0 नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
2. उर्मिला पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
3. प्रेमचन्द पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
4. रमेश पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
5. लीला पुत्री नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
6. सुखदेव पुत्र नन्दकिशोर जाति ब्राह्मण निवासी मोर तहसील टोडारायसिंह जिला केकडी राज0।
7. शाखा प्रबंधक बैंक ऑफ बडौदा शाखा टोडारायसिंह।
8. शाखा प्रबंधक बडौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा मोर।
9. तहसीलदार/लेण्ड होल्डर तहसील टोडारायसिंह

दावा घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती तकासमा

मुकदमा नम्बर :- 100 / 2023

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल है. रुबरु शिवराज मीणा आर.ए.एस. व हाजिरी श्री रामबाबू स्वामी एडवोकेट मिजानिब मुदई रुबरु श्री नईम अहमद एडवोकेट वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिकी किया जाकर आराजी खसरा नम्बर 1379 रकबा 3.45 है0, 1348 रकबा 1.16 है0, 1385 रकबा 0.55 है0, 2056 रकबा 0.50 है0, 2058 रकबा 0.20 है0, 2059 रकबा 0.38 है0, 2642 रकबा 0.01 है0, 2643 रकबा 0.41 है0, 298 रकबा 0.35 है0, 302/3498 रकबा 0.03 है0, 323 रकबा 0.70 है0, 884 रकबा 0.11 है0, 885 रकबा 0.01 है0, 886 रकबा 0.35 है0, 887 रकबा 1.05 है0, 920 रकबा 2.02 है0, कुल किता 16 रकबा 11.28 है0 वाके ग्राम मोर एवं आराजी खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.10 है0, 1649 रकबा 0.15 है0, 1650 रकबा 3.01 है0 कुल किता 3 रकबा 3.26 है0 वाके ग्राम सूरजपुरा (मोर) में से खातेदार सीताराम पुत्र रामदयाल का नाम खातेदारी से विलोपित किया जाकर उसके हिस्से 1/3 की आराजियात में से हिस्सा 1/2 के वादीगण को तथा हिस्सा 1/2 के प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। अर्थात वादग्रस्त आराजियात सम्पूर्ण में हिस्सा 1/2 के वादीगण को तथा हिस्सा 1/2 के प्रतिवादीगण को काश्तकार घोषित किये जाते है। खर्चा फरिकेन अपना-अपना वहन करेंगे।

निज.....मुबलिग.....बाबत.....खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.....फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.....अदा करे। बसबत मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख.....08.....माह.....05.....सन 2024 को जारी की गई।

मोहर न्यायालय

उपशिवराज मीणा  
टोडारायसिंह  
उपखण्ड अधिकारी  
टोडारायसिंह(केकडी)

मुदई	रूपये	पैसे	मुदई	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प बकालत नामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प बजह सबूत			महत्ताना बकील		
महत्ताना बकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत इजराय हुक्म नामा		
बाबत इजराय हुक्म नामा			बाबत इजराय हुक्म नामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		